निशुल्क कानूनी सलाहकार

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग

अखिलेंद्र प्रताप सिंह

एडवोकेट हाईकोर्ट इलाहाबाद

अंबेडकरवादी हितकारी समिति- राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार

महिला सुरक्षा संघ- राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार

बहुजन उत्थान सेवा समिति- राष्ट्रीय कानून सलाहकार

भारतीय भीम सेना - राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार

बुद्ध एजुकेशन एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन - राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार

मोबाइल नंबर 9532112005

चेंबर नंबर- ऐनक्सी "सी" नियर गेट नंबर 5 हाईकोर्ट इलाहाबाद

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (Scheduled Castes and The Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989)

3. अत्याचार के अपराधों के लिए दंड-(1) कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, -

(i) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीने या खाने के लिए मजबूर करेगा;

(ii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के परिसर या पड़ोस में मल-मूत्र, कूड़ा, पशु-शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करके उसे क्षति पहुंचाने, अपमानित करने या क्षुब्ध करने के आशय से कार्य करेगा;

(iii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के शरीर से बलपूर्वक कपड़े उतारेगा या उसे नंगा या उसके चेहरे या शरीर को पोतकर घुमाएगा या इसी प्रकार का कोई अन्य ऐसा कार्य करेगा जो मानव के सम्मान के विरुद्ध है;

(iv) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के स्वामित्वाधीन या उसे आबंटित या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे आबंटित किए जाने के लिए अधिसूचित किसी भूमि को सदोष अधिभोग में लेगा या उस पर खेती करेगा या उसे आंबटित भूमि को अंतरित करा लेगा;

(v) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को उसकी भूमि या परिसर से सदोष बेकब्जा करेगा या किसी भूमि, परिसर या जल पर उसके अधिकारों के उपभोग में हस्तक्षेप करेगा;

(vi) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को स्ब्बेगारर् करने के लिए या सरकार द्वारा लोक प्रयोजनों के लिए अधिरोपित किसी अनिवार्य सेवा से भिन्न अन्य समरूप प्रकार के बलात्श्रम या बंधुआ मजदूरी के लिए विवश करेगा या फुसलाएगा;

(vii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को मतदान न करने के लिए या किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने के लिए या विधि द्वारा उपबन्धित से भिन्न रीति से मतदान करने के लिए मजबूर या अभित्रस्त करेगा;

(viii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के विरुद्ध मिथ्या, द्वेषपूर्ण या तंग करने वाला वाद या दाण्डिक या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित करेगा;

(ix) किसी लोकसेवक को कोई मिथ्या या तुच्छ जानकारी देगा और उसके द्वारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को क्षति पहुंचाने या क्षुब्ध करने के लिए ऐसे लोक सेवक से उसकी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कराएगा;

(x) जनता को दृष्टिगोचर किसी स्थान में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य का अपमान करने के आशय से साशय उसको अपमानित या अभित्रस्त करेगा;

(xi) अनूसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी महिला का अनादर करने या उसकी लज्जा भंग करने के आशय से हमला या बल प्रयोग करेगा;

(xii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी महिला की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में होने पर उस स्थिति का प्रयोग उसका लैंगिक शोषण करने के लिए, जिसके लिए वह अन्यथा सहमत नहीं होती, करेगा;

(xiii) किसी स्रोत, जलाशय या किसी अन्य उद्गम के जल को जो आमतौर पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा उपयोग में लाया जाता है, दूषित या गंदा करेगा जिससे कि वह उस प्रयोजन के लिए कम उपयुक्त हो जाए जिसके लिए उसका आमतौर पर प्रयोग किया जाता है;

(xiv) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को सार्वजनिक अभिगम के स्थान के मार्ग के किसी रूढ़िजन्य अधिकार से वंचित करेगा या ऐसे सदस्य को बाधा पहुंचाएगा जिससे कि वह ऐसे सार्वजनिक अभिगम के स्थान का उपयोग करने या वहां पहुंचने से निवारित हो जाए जहां जनता के अन्य सदस्यों या उसके किसी भाग को उपयोग करने का या पहुंचने का अधिकार है;

(xv) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को अपना मकान, गांव या अन्य निवास-स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करेगा या कराएगा,

वह,कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किंतु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दंडनीय होगा ।

(2) कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है-

(i) मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को किसी ऐसे अपराध के लिए जो तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा मृत्यु दंड से दंडनीय है, दोषसिद्ध कराना है या वह यह जानता है कि इससे उसका दोषसिद्ध होना संभाव्य है, वह आजीवन कारावास से और जुर्माने से दंडनीय होगा; और यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी निर्दोष सदस्य को ऐसे मिथ्या या गढ़े हुए साक्ष्य के फलस्वरूप दोषसिद्ध किया जाता है और फांसी दी जाती है तो वह व्यक्ति, जो ऐसा मिथ्या साक्ष्य देता है या गढ़ता है, मुत्यु दंड से दंडनीय होगा;

(ii) मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को ऐसे अपराध के लिए जो मुत्यु दंड से दंडनीय नहीं है किंतु सात वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है, दोषसिद्ध कराना है या वह यह जानता है कि उससे उसका दोषसिद्ध होना संभाव्य है, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष या उससे अधिक की हो सकेगी और जुर्माने से, दंडनीय होगा;

(iii) अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि करेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य की किसी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना है या वह यह जानता है कि उससे ऐसा होना संभाव्य है वह करावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दंडनीय होगा;

(iv) अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि करेगा जिससे उसका आशय किसी ऐसे भवन को जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा साधारणतः पूजा के स्थान के रूप में या मानव आवास के स्थान के रूप में या सम्पत्ति की अभिरक्षा के लिए किसी स्थान

के रूप में उपयोग किया जाता है, नष्ट करता है या वह यह जानता है कि उससे ऐसा होना संभाव्य है, वह आजीवन कारावास से, और जुर्माने से दंडनीय होगा;

(v) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय कोई अपराध किसी व्यक्ति या सम्पत्ति के विरुद्ध इस आधार पर करेगा कि ऐसा व्यक्ति अनूसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या ऐसी संपत्ति ऐसे सदस्य की है, वह आजीवन कारावास से, और जुर्माने से, दंडनीय होगा;

(iv) यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि इस अध्याय के अधीन कोई अपराध किया गया है, वह अपराध किए जाने के किसी साक्ष्य को, अपराधी को विधिक दंड से बचाने के आशय से गायब करेगा या उस आशय से अपराध के बारे में कोई ऐसी जानकारी देगा जो वह जानता है या विश्वास करता है कि वह मिथ्या है, वह उस अपराध के लिए उपबन्धित दंड से दंडनीय होगा; या

(vii) लोक सेवक होते हुए इस धारा के अधीन कोई अपराध करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो उस अपराध के लिए उपबंधित दंड तक हो सकेगी, दंडनीय होगा ।

4. कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंड-कोई भी लोक सेवक, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा पालन किए जाने के लिए अपेक्षित अपने कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किंतु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय होगा ।

5. पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि के लिए वर्धित दंड-कोई व्यक्ति, जो इस अध्याय के अधीन किसी अपराध के लिए पहले ही दोषसिद्ध हो चुका है, दूसरे अपराध या उसके पश्चात्वर्ती किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो उस अपराध के लिए उपबंधित दंड तक हो सकेगी, दंडनीय होगा ।

6. भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना-इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 34, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 5क, धारा 149 और अध्याय 23 के उपबंध, जहां तक हो सके, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे भारतीय दंड संहिता के प्रयोजनों के लिए लागू होते हैं ।

धनराशि - उत्पीड़ित अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न की घटनाओं में आर्थिक सहायता विभिन्न चरणों में दिये जाने का प्रावधान है।

वितरण की प्रक्रिया - अनुसूचित जाति के उत्पीड़ित व्यक्ति द्वारा एफ० आई० आर० दर्ज करते ही विभाग द्वारा प्रथम चरण में लाभार्थी को त्वरित आर्थिक सहायता पहुचाने का प्राविधान है सामान्यता अपराध सिद्र होने की स्थिति में उत्पीडित व्यक्ति को रू. 40000/- से रू. 500000/- तक आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान है।

अनुसूचित जाति और जनजाति(अत्याचारनिवारण)नियम 1995 का संशोधन नियम 2011 के अनुसार दी जाने वाली धनराशि का विवरण

क्रम सं	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
(1)	(2)	(3)
1.	अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीना या खाना (धारा 3(1)(i))	प्रत्येक पीड़ित को अपराध के स्वरूप और गंभीरता को देखते हुए 60000/- रूपए या उससे अधिक और पीड़ित व्यक्ति द्वारा अनादर, अपमान, क्षति तथा मानहानि सहने के अनुपात में भी होगा।दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगाः I 25 प्रतिशत जब आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जाए।
2.	क्षति पहुंचाना, अपमानित करना या क्षुब्ध करना (धारा 3(1) (ii))	

3	अनादर सूचक कार्य (धारा 3(1) (iii))	II 75 प्रतिशत जब निंचले न्यायालयों द्वारा दोषसिद्ध ठहराया जाए।
4	सदोष भूमि अभिभोग में लेना या उस पर कृषि करना आदि, (धारा 3(1) (iV))	अपराध के स्वरूप और गंभीरता को देखते हुए कम से कम 60000/- रूपए या उससे अधिक भूमि/परिसर/जल की आपूर्ति जहां आवश्यक हो, सरकारी खर्चे पर पुनः वापस की जाएगी। जब आरोप- पत्र न्यायालय को भेजा जाए पूरा भुगतान किया जाए।
5	भूमि परिसर या जल से संबंधित (धारा 3(1) (V))	
6	बेगार या बलात्श्रम या बंधुआ मजदूरी (धारा 3(1) (Vi))	प्रत्येक पीड़ित को कम से कम 60000/- रूपए, प्रथम सूचना रिपोर्ट की स्टेज पर 25 प्रतिशत और 75 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोष सिद्ध होने पर।
7	मतदान के अधिकार के संबंध में (धारा 3(1) (Vii))	प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को 50000/- रूपए, तक जो अपराध के स्वरूप और गंभीरता पर निर्भर है।
8	मिथ्या द्वेष पूर्ण या तंग करने वाली विधिक कार्यवाही (धारा 3(1) (Viii))	60000/- रूपए, या वास्तविक विधिक व्यय और क्षति की प्रतिपूर्ति या अभियुक्त के विचारण की समाप्ति के पश्चात जो भी कम हो।
9	मिथ्या या तुच्छ जानकारी(धारा 3(1)(ix))	
10	अपमान, अभित्रास और अवमानना (धारा 3(1) (x))	अपराध के स्वरूप पर निर्भर करते हुए प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को 60000/- रूपए, तक 25 प्रतिशत उस समय जब आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जाए और शेष दोष-सिद्ध होने पर।
11	किसी महिला की लज्जा भंग करना (धारा 3(1) (xi))	अपराध के प्रत्येक पीड़ित को 120000/- रूपए, चिकित्सा जांच के पश्चात 50 प्रतिशत का भुगतान किया जाए और शेष 50 प्रतिशत का विचारण की समाप्ति पर भुगतान किया जाए।
12	महिला का लैंगिक शोषण (धारा 3(1) (xii))	
13	पानी गन्दा करना (धारा 3(1) (xiii))	250000/- रूपए, तक जब पानी को गन्दा कर दिया जाए तो उसे साफ करने सहित या सामान्य सुविधा को पुनः बहाल करने की पूरी लागत। उस स्तर पर जिस पर जिला प्रशासन द्वारा ठीक समझा जाए भुगतान किया जाए।
14	मार्ग के रूढ़िजन्य अधिकार से वंचित करना (धारा 3(1) (xiv))	250000/- रूपए तक या मार्ग के अधिकार को पुनः बहाल करने की पूरी लागत और जो नुकसान हुआ है, यदि कोई हो, उसका पुरा प्रतिकर 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाए और 50 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोष सिद्ध होने पर।
15	किसी को निवास स्थान छोड़ने पर मजबूर करना (धारा 3(1) (xv))	स्थल बहाल करना। ठहराने का अधिकार और प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को 60000/- रूपए का प्रतिकर तथा सरकार के खर्च पर मकान का पुननिर्माण, यदि नष्ट किया गया हो। पूरी लागत का भुगतान जब निचले न्यायालय में आरोप-पत्र भेजा जाए।
16	मिथ्या साक्ष्य देना [(धारा3(2)(i)और (ii)]	कम से कम 250000/- रूपए या उठाए गए नुकसान या हानि का पूरा प्रतिकर। 50 प्रतिशत का भुगतान जब आरोप-पत्र न्यायालय में भेजा जाए और 50 प्रतिशत निचले न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध होने पर।
17.	भारतीय दंड संहिता के अधीन 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय	अपराध के स्वरूप और गम्भीरता को देखते हुए प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को या उसके आश्रित को कम से कम 120000/- रूपए यदि अनुसूची में विनिद्रष्ट। अन्यथा प्रावधान किया हुआ हो तो इस राशि में अन्तर होगा।

	अपराध करना [(धारा 3(2)]	
18.	किसी लोक सेवक के हाथों उत्पीड़न [(धारा 3(२)(vii)]	उठाई गई हानि या नुकसान का पूरा प्रतिकर। 50 प्रतिशत का भुगतान जब आरोप पत्र न्यायालय में भेजा जाए और 50 प्रतिशत का भुगतान जब निचले न्यायालय में दोष सिद्ध हो जाय, किया जाएगा।
19	निःशक्तता की परिभाषा निःश्क्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार. संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा में यथा प्रदत्त होगी और उसके निर्धारण के लिए दिशानिर्देश सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तारीख 01.06.2001 की भारत सरकार अधिसूचना संख्या 154. समय-समय पर यथा संशोधित में अंतर्विष्ट होगी। अधिसूचना की एक प्रति अनुसूची के उपाबंध-2 पर संलग्न है। (क) 100 प्रतिशत असमर्थता (i) परिवार का न कमाने वाला सदस्य (ii) परिवार का कमाने वाला सदस्य (ख) जहां असमर्थता 100 प्रतिशत से कम है।	अपराध के प्रत्येक पीड़ित को कम से कम 250000/- रूपए, 50 प्रतिशत प्रथम सूचना रिपोर्ट पर और 25 प्रतिशत आरोप-पत्र पर और 25 प्रतिशत निचले न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर। अपराध के प्रत्येक पीड़ित को कम से कम 500000/- रूपए, 50 प्रतिशत प्रथम सूचना रिपोर्ट/चिकित्सा जांच पर भुगतान किया जाए और 25 प्रतिशत जब आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जाए तथा 25 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोष सिद्ध होने पर। उपर्युक्त क (i) और (ii) में निर्धारित दरों को उसी अनुपात में कम किया जाएगा, भुगतान के चरण भी वहीं रहेंगे। तथापि, न कमाने वाले सदस्य को 40000/- रूपए से कम नहीं और परिवार के कमाने वाले सदस्य को 80000/- से कम नही होगा।
20	हत्या/मृत्यु (क) परिवार का न कमाने वाला सदस्य (ख) परिवार	प्रत्येक मामले में कम से कम 250000/- रूपये। 75 प्रतिशत पोस्टमार्टम के पश्चात और 25 प्रतिशत निचले न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध होने पर। प्रत्येक मामले में कम से कम 500000/- रूपए। 75 प्रतिशत

	का कमाने वाला सदस्य	का भुगतान पोस्टमार्टम के पश्चात और 25 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोष सिद्ध होने पर।
21	हत्या, मृत्यु, नरसंहार, बलात्संग, सामूहिक बलात्संग, गैग द्वारा किया गया बलात्संग, स्थायी असमर्थतता और डकैती का पीड़ित।	उपर्युक्त मदों के अंतर्गत भुगतान की गई राहत की रकम के अतिरिक्त, राहत की व्यवस्था अत्याचार की तारीख से तीन माह के भीतर निम्नलिखित रूप से की जाए:- (i) अनुसूचति जाति और अनुसूचित जनजाति के मृतक की प्रत्येक विधवा और/या अन्य आश्रितों को 3000/- रूपए प्रति मास की दर स, या मृतक के परिवार के एक सदस्य को रोजगार या कृषि भुमि, एक मकान यदि आवश्यक हो तो तत्काल खरीद द्वारा। (ii) पीड़ितों के बच्चों की शिक्षा और उनके भरण-पोषण का पूरा खर्चा/बच्चों को आश्रम स्कूलों/आवासीय स्कूलों में दाखिल किया जाए। (iii) तीन माह की अवधि तक वर्तनों, चावल, गेहूं, दालों, दलहनों आदि की व्यवस्था।
22	पूर्णतया नष्ट करना/ जला हुआ मकान	जहां मकान को जला दिया गया हो या नष्ट कर दिया गया हो। वहां सरकारी खर्च पर ईट पत्थर के मकान का निर्माण किया जाए या उसकी व्यवस्था की जाए।"

निशुल्क कानूनी सलाहकार

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग

अखिलेंद्र प्रताप सिंह

एडवोकेट हाईकोर्ट इलाहाबाद

अंबेडकरवादी हितकारी समिति- राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार

महिला सुरक्षा संघ- राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार

बहुजन उत्थान सेवा समिति- राष्ट्रीय कानून सलाहकार

भारतीय भीम सेना - राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार

बुद्ध एजुकेशन एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन - राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार

मोबाइल नंबर 9532112005

चेंबर नंबर- ऐनक्सी "सी" नियर गेट नंबर 5 हाईकोर्ट इलाहाबाद

निशुल्क कानूनी सलाहकार

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग

अखिलेंद्र प्रताप सिंह

एडवोकेट हाईकोर्ट इलाहाबाद

अंबेडकरवादी हितकारी समिति- राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार

महिला सुरक्षा संघ- राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार

बहुजन उत्थान सेवा समिति- राष्ट्रीय कानून सलाहकार

भारतीय भीम सेना - राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार

बुद्ध एजुकेशन एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन - राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार

मोबाइल नंबर 9532112005

चेंबर नंबर- ऐनक्सी "सी" नियर गेट नंबर 5 हाईकोर्ट इलाहाबाद

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (Protection Of Civil Rights Act, 1955)

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955

(1955 का अधिनियम संख्यांक 22)

[8 मई, 1955]

(अस्पृश्यता का प्रचार और आचरण करने] और उससे उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करने और, उससे संबंधित बातों के लिए दंड विहित करने के लिए अधिनियम)

भारत गणराज्य के छठे वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो: -

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ-

(1) यह अधिनियम [सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम,] 1955 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषाए-इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

[(क) सिविल अधिकार" से कोई ऐसा अधिकार अभिप्रेत है, जो संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता" का अन्त कर दिए जाने के कारण किसी व्यक्ति को प्रोद्भूत होता है;]

[(कक)] होटल" के अन्तर्गत जलपान-गृह, भोजनालय, बासा, कॉफी हाउस और केफे भी हैं;

[(ख) स्थान" के अन्तर्गत गृह, भवन और अन्य संरचना तथा परिसर हैं और उसके अन्तर्गत तम्बू, यान और जलयान भी हैं;]

(ग) लोक मनोरंजन-स्थान" के अन्तर्गत कोई भी ऐसा स्थान है जिसमें जनता को प्रवेश करने दिया जाता है और जिसमें मनोरंजन की व्यवस्था की जाती है या मनोरंजन किया जाता है ।

स्पष्टीकरण-मनोरंजन" के अन्तर्गत कोई प्रदर्शनी, तमाशा, खेलकूद, क्रीड़ा और किसी अन्य प्रकार का आमोद भी है;

(घ) लोक पूजा-स्थान" से, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जो धार्मिक पूजा के सार्वजनिक स्थान के तौर पर उपयोग में लाया जाता है या जो वहां कोई धार्मिक सेवा प्रार्थना करने के लिए, किसी धर्म को मानने वाले या किसी धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी विभाग के व्यक्तियों को साधारणतः समर्पित किया गया है या उनके द्वारा साधारणतः उपयोग में लाया जाता है, [और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित हैं- (I) ऐसे किसी स्थान के साथ अनुलग्न या संलग्न सब भूमि और गौण पवित्र स्थान;

(II) निजी स्वामित्व का कोई पूजा-स्थान जिसका स्वामी वस्तुतः उसे लोक पूजा-स्थान के रूप में उपयोग में लाने की अनुज्ञा देता है; और

(III) ऐसे निजी स्वामित्व वाले पूजा-स्थान से अनुलग्न ऐसी भूमि या गौण पवित्र स्थान जिसके स्वामी उसे लोक धार्मिक पूजा-स्थान के रूप में उपयोग में लाने की अनुज्ञा देता है;]

5[(घक) विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(घख) अनुसूचित जाति" का वही अर्थ है जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) में उसे दिया गया है;]

(ङ) दुकान" से कोई ऐसा परिसर अभिप्रेत है, जहां वस्तुओं का या तो थोक या फुटकर या थोक और फुटकर दोनों प्रकार का विक्रय किया जाता है 8[और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित हैं: -

(I) कोई ऐसा स्थान जहां फेरी वाले या विक्रेता द्वारा या चलते-फिरते यान या गाड़ी से माल का विक्रय किया जाता है;

(II) लांड्री और बाल काटने का सैलून;

(III) कोई अन्य स्थान जहां ग्राहकों की सेवा की जाती है ।]

3. धार्मिक निर्योग्यताएं लागू करने के लिए दण्ड-जो कोई किसी व्यक्ति को, -

(क) किसी ऐसे लोक-पूजा स्थान में प्रवेश करने से, जो उसी धर्म को मामने वाले । । । या उसके किसी विभाग के अन्य व्यक्तियों के लिए खुला हो, जिसका वह व्यक्ति हो, अथवा

(ख) किसी लोक पूजा-स्थान में पूजा या प्रार्थना या कोई धार्मिक सेवा अथवा, किसी पुनीत तालाब, कुएं, जलस्रोत या [जल-सरणी, नदी या झील में स्नान या उसके जल का उपयोग या ऐसे तालाब, जल-सरणी, नदी या झील के किसी घाट पर स्नान] उसी रीति से और उसी विस्तार तक करने से, जिस रीति से और जिस विस्तार तक ऐसा करना उसी धर्म को मानने वाले 1। । । या उसके किसी विभाग के अन्य व्यक्तियों के लिए अनुज्ञेय हो, जिसका वह व्यक्ति हो,

अस्पृश्यता" के आधार पर निवारित करेगा [वह कम से कम एक मास और अधिक से अधिक छह मास की अवधि के कारावास से और ऐसे जुर्माने से भी, जो कम से कम एक सौ रुपए और अधिक से अधिक पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा] ।

स्पष्टीकरण-इस धारा और धारा 4 के प्रयोजनों के लिए बौद्ध, सिक्ख या जैन धर्म को मामने वाले व्यक्ति या हिन्दू धर्म के किसी भी रूप या विकास को मानने वाले व्यक्ति, जिनके अंतर्गत वीरशैव, लिंगायत, आदिवासी, ब्राह्मो समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज और स्वामी नारायण संप्रदाय के अनुयायी भी हैं, हिन्दू समझे जाएंगे ।

4. सामाजिक निर्योग्यताएं लागू करने के लिए दण्ड-जो कोई किसी व्यक्ति के विरुद्ध निम्नलिखित के सम्बन्ध में कोई निर्योग्यता अस्पृश्यता" के आधार पर लागू करेगा वह कम से कम एक मास और अधिक से अधिक छह मास की अवधि के [कारावास से और ऐसे जुर्माने से भी, जो कम से कम एक सौ रुपए और अधिक से अधिक पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा, -

(I) किसी दुकान, लोक उपाहार-गृह, होटल या लोक मनोरंजन-स्थान में प्रवेश करना; अथवा

(II) किसी लोक उपाहार-गृह, होटल, धर्मशाला, सराय या मुसाफिरखाने में, जनसाधारण या 4[उसके किसी विभाग के] व्यक्तियों के, जिसका वह व्यक्ति हो, उपयोग के लिए रखे गए किन्हीं बर्तनों और अन्य वस्तुओं का उपयोग करना; अथवा

(III) कोई वृत्ति करना या उपजीविका, [या किसी काम में नियोजन]; अथवा

(IV) ऐसी किसी नदी, जलधारा, जलस्रोत, कुएं, तालाब, हौज, पानी के नल या जल के अन्य स्थान का या किसी स्नान घाट, कब्रिस्तान या श्मशान, स्वच्छता सम्बन्धी सुविधा, सड़क, या रास्ते या लोक अभिगम के अन्य स्थान का जिसका उपयोग करने के लिए या जिसमें प्रवेश करने के जनता के अन्य सदस्य, या 4[उसके किसी विभाग के] व्यक्ति जिसका वह व्यक्ति हो, अधिकारवान हों, उपयोग करना या उसमें प्रवेश करना; अथवा

(V) राज्य निधियों से पूर्णतः या अंशतः पोषित पूर्त या लोक प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले या जनसाधारण के या 4[उसके किसी विभाग के] व्यक्तियों के, जिसका वह व्यक्ति हो, उपयोग के लिए समर्पित स्थान का, उपयोग करना या उसमें प्रवेश करना; अथवा

(VI) जनसाधारण या 4[उसके किसी विभाग के] व्यक्तियों के, जिसका वह व्यक्ति हो, फायदे के लिए सृष्ट किसी पूर्त न्यास के अधीन किसी फायदे का उपभोग करना; अथवा

(VII) किसी सार्वजनिक सवारी का उपयोग करना या उसमें प्रवेश करना; अथवा

(VIII) किसी भी परिक्षेत्र में, किसी निवास-परिसर का सन्निर्माण, अर्जन या अधिभोग करना; अथवा

(IX) किसी ऐसी धर्मशाला, सराय या मुसाफिरखाने का, जो जनसाधारण या 4[उसके किसी विभाग के] व्यक्तियों के लिए, जिसका वह व्यक्ति हो, खुला हो उपयोग ऐसे व्यक्ति के रूप में करना; अथवा

(X) किसी सामाजिक या धार्मिक रुढ़ि, प्रथा या कर्म का अनुपालन या [किसी धार्मिक, सामाजिक या सांस्कृतिक जलूस में भाग लेना या ऐसा जुलूस निकालना]; अथवा

(XI) आभूषणों और अलंकारों का उपयोग करना ।

[स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए, कोई निर्योग्यता लागू करना" के अन्तर्गत अस्पृश्यता" के आधार पर विभेद करना है ।]

5. अस्पतालों, आदि में व्यक्तियों को प्रवेश करने देने से इन्कार करने के लिए दण्ड-जो कोई अस्पृश्यता" के आधार पर-

(क) किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, शिक्षा-संस्था, या ॥। किसी छात्रवास में, यदि वह अस्पताल, औषधालय, शिक्षा-संस्था या छात्रावास जन-साधारण या उसके किसी विभाग के फायदे के लिए स्थापित हो या चलाया जाता हो, प्रवेश करने देने से इन्कार करेगा, अथवा

(ख) पूर्वोक्त संस्थाओं में से किसी में प्रवेश के पश्चात् ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई विभेदपूर्ण कार्य करेगा,

[वह कम से कम एक मास और अधिक से अधिक छह मास की अवधि के कारावास से और ऐसे जुर्माने से भी, जो कम से कम एक सौ रुपए और अधिक से अधिक पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।]

6. माल बेचने या सेवा करने से इन्कार के लिए दण्ड-जो कोई उसी समय और स्थान पर और वैसे ही निबन्धनों और शर्तों पर, जिन पर कारबार के साधारण अनुक्रम में अन्य व्यक्तियों को ऐसा माल बेचा जाता है या उनकी सेवा की जाती है किसी व्यक्ति को कोई माल बेचने या उसकी सेवा करने से अस्पृश्यता" के आधार पर इन्कार करेगा, [वह कम से कम एक मास और अधिक से अधिक छह मास की अवधि के कारावास से और ऐसे जुर्माने से भी, जो कम से कम एक सौ रुपए और अधिक से अधिक पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।]

7. अस्पृश्यता" उद्भूत अन्य अपराधों के लिए दण्ड-(1) जो कोई-

(क) किसी व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 17 के अधीन अस्पृश्यता" के अन्त होने से उसको प्रोद्भूत होने वाले किसी अधिकार का प्रयोग करने से निवारित करेगा, अथवा

(ख) किसी व्यक्ति को किसी ऐसे अधिकार के प्रयोग से उत्पीड़ित करेगा, क्षति पहुंचाएगा, क्षुब्ध करेगा, बाधा डालेगा या बाधा कारित करेगा या कारित करने का प्रयत्न करेगा या किसी व्यक्ति के, कोई ऐसा अधिकार प्रयोग करने के कारण उसे उत्पीड़ित करेगा, क्षति पहुंचाएगा, क्षुब्ध करेगा या उसका बहिष्कार करेगा, अथवा

(ग) किसी व्यक्ति या व्यक्ति-वर्ग या जनसाधारण को बोले गए या लिखित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपणों द्वारा या अन्यथा किसी भी रूप में अस्पृश्यता" का आचरण करने के लिए उद्दीप्त या प्रोत्साहित करेगा, [अथवा]

5[(घ) अनुसूचित जाति के सदस्य का अस्पृश्यता" के आधार पर अपमान करेगा, या अपमान करने का प्रयत्न करेगा,]

[वह कम से कम एक मास और अधिक से अधिक छह मास की अवधि के कारावास से और ऐसे जुर्माने से भी, जो कम से कम एक सौ रुपए और अधिक से अधिक पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा] ।

[स्पष्टीकरण 1]-किसी व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि वह अन्य व्यक्ति का बहिष्कार करता है, जब वह-

(क) ऐसे अन्य व्यक्ति को कोई गृह भूमि पट्टे पर देने से इन्कार करता है या ऐसे अन्य व्यक्ति को किसी गृह या भूमि के उपयोग या अधिभोग के लिए अनुज्ञा देने से इन्कार करता है या ऐसे अन्य व्यक्ति के साथ व्यवहार करने से, उसके लिए भाड़े पर काम करने से, या उसके साथ कारबार करने से या उसको कोई रूढ़िगत सेवा करने से या उससे कोई रूढ़िगत सेवा लेने से इन्कार करता है या उक्त बातों में से किसी को ऐसे निबन्धनों पर करने से इन्कार करता है, जिन पर ऐसी बातें कारबार से साधारण अनुक्रम से सामान्यतः की जाती; अथवा

(ख) ऐसे सामाजिक, वृत्तिक या कारबारी सम्बन्धों से विरत रहता है, जैसे वह ऐसे अन्य व्यक्ति के साथ साधारणतया बनाए रखता ।

5[स्पष्टीकरण 2-खण्ड (ग) के प्रयोजनों के लिए यदि कोई व्यक्ति-

(I) प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अस्पृश्यता" का या किसी रूप में इसके आचरण का प्रचार करेगा; अथवा

(II) किसी रूप में अस्पृश्यता" के आचरण को, चाहे ऐतिहासिक, दार्शनिक या धार्मिक आधारों पर या जाति व्यवस्था की किसी परम्परा के आधार पर या किसी अन्य आधार पर न्यायोचित ठहराएगा,

तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि वह अस्पृश्यता" के आचरण को उद्दीप्त या प्रोत्साहित करता है ।]

[(1क) जो कोई किसी व्यक्ति के शरीर या उसकी सम्पत्ति के विरुद्ध कोई अपराध उसके द्वारा किसी ऐसे अधिकार के, जो संविधान के अनुच्छेद 17 के अधीन अस्पृश्यता" का अन्त करने के कारण उसे प्रोद्भूत हुआ है, प्रयोग किए जाने के प्रतिशोध के रूप में या बदला लेने की भावना से करेगा, वह, जहां अपराध दो वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दण्डनीय है, वहां, कम से कम दो वर्ष की अवधि के कारावास से और जुर्माने से भी, दण्डनीय होगा ।]

(2) जो कोई इस आधार पर कि ऐसे व्यक्ति ने अस्पृश्यता" का आचारण करने से इन्कार किया है या ऐसे व्यक्ति ने इस अधिनियम के उद्देश्यों को अग्रसर करने में कोई कार्य किया है, -

(I) अपने समुदाय के या उसके किसी विभाग के किसी व्यक्ति को किसी ऐसे अधिकार या विशोषाधिकार से वंचित करेगा जिसके लिए ऐसा व्यक्ति ऐसे समुदाय या विभाग के सदस्य के तौर पर हकदार हो, अथवा

(II) ऐसे व्यक्ति को जातिच्युत करने में कोई भाग लेगा,

[वह कम से कम एक मास और अधिक से अधिक छह मास की अवधि के कारावास से और ऐसे जुर्माने से भी, जो कम से कम एक सौ रुपए और अधिक से अधिक पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा] ।

[7क. विधिविरुद्ध अनिवार्य श्रम कब अस्पृश्यता" का आचरण समझा जाएगा-(1) जो कोई किसी व्यक्ति को सफाई करने या बुहारने या कोई पशु शव हटाने या किसी पशु की खाल खींचने या नाल काटने या इसी प्रकार का कोई अन्य काम करने के लिए अस्पृश्यता" के आधार पर मजबूर करेगा, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अस्पृश्यता" से उद्भूत निर्योग्यता को लागू किया है ।

(2) जिस किसी के बारे में उपधारा (1) के अधीन यह समझा जाता है कि उसने अस्पृश्यता" से उद्भूत निर्योग्यता को लागू किया है, वह कम से कम तीन मास और अधिक से अधिक छह मास की अवधि के कारावास से और जुर्माने से भी, जो कि कम से कम एक सौ रुपए और अधिक से अधिक पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए मजबूर करने" के अन्तर्गत सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार करने की धमकी भी है ।]

8. कुछ दशाओं में अनुज्ञप्तियों का रद्द या निलम्बित किया जाना-जबकि वह व्यक्ति, जो धारा 6 के अधीन किसी अपराध का दोषसिद्ध हो, किसी ऐसी वृत्ति, व्यापार, आजीविका या नियोजन के बारे में जिसके सम्बन्ध में अपराध किया गया हो, कोई अनुज्ञप्ति किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन रखता हो, तब उस अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय किसी अन्य ऐसी शास्ति पर, जिससे वह व्यक्ति उस धारा के अधीन दण्डनीय हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निदेश दे सकेगा कि वह अनुज्ञप्ति रद्द होगी या ऐसी कालावधि के लिए, जितनी न्यायालय ठीक समझे, निलम्बित रहेगी, और अनुज्ञप्ति को इस प्रकार रद्द या निलम्बित करने वाले न्यायालय का प्रत्येक आदेश ऐसे प्रभावी होगा, मानो वह आदेश उस प्राधिकारी द्वारा दिया गया हो; जो किसी ऐसी विधि के अधीन अनुज्ञप्ति को रद्द या निलम्बित करने के लिए सक्षम था ।

स्पष्टीकरण-इस धारा में अनुज्ञप्ति" के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र या अनुज्ञा भी है ।

9. सरकार द्वारा किए गए अनुदानों का पुनर्ग्रहण या निलम्बन-जहां कि किसी ऐसे लोक पूजा-स्थान [या किसी शिक्षा संस्थान या छात्रावास] का प्रबन्धक या न्यासी जिसे सरकार से भूमि या धन का अनुदान प्राप्त हो, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध हुआ हो और ऐसी दोषसिद्धि किसी अपील या पुनरीक्षण में उलटी या अभिखण्डित न की गई हो वहां, यदि सरकार की राय में उस मामले की परिस्थितियों में ऐसा करने के लिए, समुचित आधार हों तो वह ऐसे सारे अनुदान या उसके किसी भाग के निलम्बन या पुनर्ग्रहण के लिए निदेश दे सकेगी ।

10. अपराध का दुष्प्रेरण-जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, वह उस अपराध के लिए उपबन्धित दण्ड से दण्डनीय होगा ।

[स्पष्टीकरण-लोक सेवक के बारे में, जो इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के अन्वेषण में जानबूझकर उपेक्षा करता है, यह समझा जाएगा कि उसने इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण किया है ।]

[10क. सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति-(1) यदि विहित रीति में जांच करने के पश्चात्, राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि किसी क्षेत्र के निवासी इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के किए जाने से सम्बन्धित हैं, या उसका दुष्प्रेरण कर रहे हैं, या ऐसे अपराध के किए जाने से सम्बन्धित व्यक्तियों को संश्रय दे रहे हैं, या अपराधी या अपराधियों का पता लगाने या पकड़वाने में अपनी शक्ति के अनुसार सभी प्रकार की सहायता नहीं दे रहे हैं, या ऐसे अपराध के किए जाने के महत्वपूर्ण साक्ष्य को दबा रहे हैं, तो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे निवासियों पर सामूहिक जुर्माना अधिरोपित कर सकेगी और जुर्माने का ऐसे निवासियों के बीच प्रभाजन कर सकेगी जो सामूहिक रूप से ऐसा जुर्माना देने के लिए दायी हैं और यह कार्य राज्य सरकार वहां के निवासियों की व्यक्तिगत क्षमता के सम्बन्ध में अपने निर्णय के अनुसार करेगी और ऐसा प्रभाजन कराने में राज्य सरकार यह भी तय कर सकेगी कि एक हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब ऐसे जुर्माने के कितने भाग का संदाय करेगा :

परन्तु किसी निवासी के बारे में प्रभाजित जुर्माना तब तक वसूल नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसके द्वारा उपधारा (3) के अधीन फाइल की गई अर्जी का निपटारा नहीं कर दिया जाता ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना की उद्घोषणा ऐसे क्षेत्र में ढोल पीट कर या ऐसी अन्य रीति से की जाएगी, जिसे राज्य सरकार उक्त क्षेत्र के निवासियों को सामूहिक जुर्माने का अधिरोपण सूचित करने के लिए उन परिस्थितियों में सर्वोत्तम समझे ।

(3) (क) उपधारा (1) के अधीन सामूहिक जुर्माने के अधिरोपण से या प्रभाजन के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति विहित कालावधि के अन्दर राज्य सरकार के समक्ष या ऐसे अन्य प्राधिकारी के समक्ष जिसे वह सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, ऐसे जुर्माने से छूट पाने के लिए या प्रभाजन के आदेश में परिवर्तन के लिए अर्जी फाइल कर सकेगा:

परन्तु ऐसी अर्जी फाइल करने के लिए कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी ।

(ख) राज्य सरकार या उसके द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अर्जीदार को सुनवाई के लिए युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित करेगा, जो वह ठीक समझे:

परन्तु इस धारा के अधीन छूट दी गई या कम की गई जुर्माने की रकम किसी व्यक्ति से वसूलीय नहीं होगी और किसी क्षेत्र के निवासियों पर उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित कुल जुर्माना उस विस्तार तक कम किया गया समझा जाएगा ।

(4) उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के शिकार व्यक्तियों को या किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उसकी राय में उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के वर्ग में नहीं आता है, उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित सामूहिक जुर्माने से या उसके किसी प्रभाग का संदाय करने के दायित्व से छूट दे सकेगी ।

(5) किसी व्यक्ति द्वारा (जिसके अन्तर्गत हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब है) संदेय सामूहिक जुर्माने का प्रभाग, न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माने की वसूली के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) द्वारा उपबन्धित रीति में ऐसे वसूल किया जा सकेगा मानो ऐसा प्रभाग, मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित जुर्माना हो ।]

11. पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर वर्धित शास्ति-जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का या ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण का पहले दोषसिद्ध हो चुकने पर किसी ऐसे अपराध या दुष्प्रेरण का पुनः दोषसिद्ध होगा, [वह दोषसिद्धि पर-

(क) द्वितीय अपराध के लिए कम से कम छह मास और अधिक से अधिक एक वर्ष की अवधि के कारावास से और जुर्माने से भी, जो कम से कम दो सौ रुपए और अधिक से अधिक पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा;

(ख) तृतीय अपराध के लिए या तृतीय अपराध के पश्चात्वर्ती किसी अपराध के लिए कम से कम एक वर्ष और अधिक से अधिक दो वर्ष की अवधि के कारावास से और जुर्माने से भी, जो कम से कम पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।]

12. कुछ मामलों में न्यायालयों द्वारा उपधारणा-जहां कि इस अधिनियम के अधीन अपराध गठित करने वाला कोई कार्य ॥। अनुसूचित जाति के सदस्य के सम्बन्ध में किया जाए वहां, जब तक कि प्रतिकूल साबित न किया जाए, न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि वह कार्य अस्पृश्यता" के आधार पर किया गया है ।

13.सिविल न्यायालयों की अधिकारिता की परिसीमा-(1) यदि सिविल न्यायालय के समक्ष के किसी वाद या कार्यवाही में अन्तर्ग्रस्त दावा या किसी डिक्री या आदेश का दिया जाना या किसी डिक्री या आदेश का पूर्णतः या भागतः निष्पादन इस अधिनियम के उपबन्धों के किसी प्रकार प्रतिकूल हो तो ऐसा न्यायालय न ऐसा कोई वाद या कार्यवाही ग्रहण करेगा या चालू रखेगा और न ऐसी कोई डिक्री या आदेश देगा या ऐसी डिक्री या आदेश का पूर्णतः या भागतः निष्पादन करेगा ।

(2) कोई न्यायालय किसी बात के न्याय निर्णयन में या किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन में, किसी व्यक्ति पर अस्पृश्यता" के आधार पर कोई निर्योग्यता अधिरोपित करने वाली किसी रूढ़ि या प्रथा को मान्यता नहीं देगा ।

14. कम्पनियों द्वारा अपराध-(1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कम्पनी हो तो हर ऐसा व्यक्ति, जो अपराध किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उस कम्पनी के प्रति उत्तरदायी था, उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा:

परन्तु इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी भी बात से कोई ऐसा व्यक्ति दण्ड का भागी न होगा, यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या ऐसे अपराध का किया जाना निवारित करने के लिए उसने सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में अन्तविष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कम्पनी के किसी निदेशक या प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मत्ति से किया गया हो, वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा, और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए-

(क) कम्पनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; तथा

(ख) फर्म के सम्बन्ध में निदेशक" से फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

[14क. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण-(1) कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी ऐसी बात के बारे में, जो इस अधिनियम के अधिन सद्भावपूर्वक की गई हो या की जाने के लिए आशयित हो, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के विरुद्ध न होगी ।

(2) कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी ऐसे नुकसान के बारे में, जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के कारण हुआ हो, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के विरुद्ध न होगी ।]

[15. अपराध संज्ञेय और संक्षेपतः विचारणीय होंगे-(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय हर अपराध संज्ञेय होगा और ऐसे हर अपराध पर सिवाय उसके जो कम से कम तीन मास से अधिक अवधि के कारावास से दण्डनीय है, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त संहिता में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार संक्षेपतः विचार किया जा सकेगा ।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, जब किसी लोक सेवक के बारे में यह अभिकथित है कि उसने इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के दुष्प्रेरण का अपराध अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करते हुए या कार्य करना तात्पर्यित करते हुए, किया है तब कोई भी न्यायालय ऐसे दुष्प्रेरण के अपराध का संज्ञान, -

(क) संघ के कार्यों के सम्बन्ध में नियोजित व्यक्ति की दशा में, केन्द्रीय सरकार की; और

(ख) किसी राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में नियोजित व्यक्ति की दशा में उस राज्य सरकार की,

पूर्व मंजूरी के बिना नहीं करेगा ।

15क. अस्पृश्यता" का अन्त करने से प्रोद्भूत अधिकारों का सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा फायदा उठाना सुनिश्चित करने का राज्य सरकार का कर्तव्य-(1) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त बनाए, राज्य सरकार ऐसे उपाय करेगी, जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों, कि अस्पृश्यता'' का अन्त करने से उद्भूत होने वाले अधिकार अस्पृश्यता" से उद्भूत किसी निर्योग्यता से पीडित व्यक्तियों को उपलब्ध किए जाते हैं और वे उनका फायदा उठाते हैं ।

(2) विशिष्टतः और उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे उपायों के अन्तर्गत निम्नलिखित हैं, अर्थात्: -

(I) पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था जिसके अन्तर्गत अस्पृश्यता" से उद्भूत किसी निर्योग्यता से पीड़ित व्यक्तियों को विधिक सहायता देना है, जिससे कि वे ऐसे अधिकारों का फायदा उठा सकें;

(II) इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के लिए अभियोजन प्रारम्भ करने या ऐसे अभियोजनों का पर्यवेक्षण करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति;

(III) इस अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना;

(IV) ऐसे समुचित स्तरों पर समितियों की स्थापना को राज्य सरकार ऐसे उपायों के निरूपण या उन्हें कार्यान्वित करने में राज्य सरकार की सहायता करने के लिए ठीक समझे;

(V) इस अधिनियम के उपबन्धों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए उपाय सुझाने की दृष्टि से इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यकरण के सर्वेक्षण की समय-समय पर व्यवस्था करना;

(VI) उन क्षेत्रों का अभिनिर्धारण जहां व्यक्ति अस्पृश्यता" से उद्भूत किसी निर्योग्यता से पीड़ित है, और ऐसे उपायों को अपनाना जिनसे ऐसे क्षेत्रों में ऐसी निर्योग्यता का दूर किया जाना सुनिश्चित हो सके ।

(3) केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों द्वारा उपधारा (1) के अधीन किए गए उपायों में समन्वय स्थापित करने के लिए ऐसे कदम उठाएगी जो आवश्यक हों ।

(4) केन्द्रीय सरकार हर वर्ष संसद् के प्रत्येक सदन के पटल पर ऐसे उपायों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जो उसने और राज्य सरकारों ने इस धारा के उपबंधों के अनुसरण में किए हैं ।]

16. अधिनियम अन्य विधियों का अध्यारोहण करेगा-इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबन्ध, किसी तत्समय प्रवृत्त विधि में उनसे असंगत किसी बात के होते हुए भी या किसी रूढ़ि या प्रथा अथवा किसी ऐसी विधि अथवा

किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी का किसी डिक्री या आदेश के आधार पर प्रभावी किसी लिखत के होते हुए भी प्रभावी होंगे ।

[16क. अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 का चौदह वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को लागू न होना-अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (1958 का 20) के उपबन्ध किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होंगे, जो चौदह वर्ष से अधिक आयु का है और इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किए जाने का दोषी पाया जाता है ।

16ख. नियम बनाने की शक्ति-(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों का पालन करने के लिए, नियम बना सकेगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रो में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के, या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं, तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप से ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।]

17. निरसन-अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियां, जहां तक कि वे या उनमें अन्तर्विष्ट उपबन्धों में से कोई इस अधिनियम या उसमें अन्तर्विष्ट उपबन्धों में से किसी के समान है या उसके विरुद्ध है, एतद्वारा निरसित की जाती है ।

अनुसूची

(धारा 17 देखिए)

1. बिहार हरिजन (रिमूवल आफ सिविल डिसेबिलिटीज) ऐक्ट, 1949 (1949 का बिहार अधिनियम संख्यांक 19) ।

2. बाम्बे हरिजन (रिमूवल आफ सोशल डिसेबिलिटीज) ऐक्ट, 1946 (1947 का मुंबई अधिनियम संख्यांक 1) ।

3. बाम्बे हरिजन टैम्पल एन्ट्री ऐक्ट, 1947 (1947 का मुंबई अधिनियम संख्यांक 35) ।

4. सैंट्रल प्रोविन्सेज एण्ड बरार शैड्यूल्ड कास्ट्स (रिमूवल आफ सिविल डिसेबिलिटीज) ऐक्ट, 1947 (1947 का मध्य प्रान्त और बरार अधिनियम संख्यांक 24) ।

5. सैन्ट्रल प्रोविन्सेज एण्ड बरार टैम्पल एन्ट्री आथोराइजेशन ऐक्ट, 1947 (1947 का मध्य प्रान्त और बरार अधिनियम संख्यांक 41)

6. ईस्ट पंजाब (रिमूवल आफ रिलिजस एण्ड सोशल डिसेबिलिटीज) ऐक्ट, 1948 (1948 का पूर्वी पंजाब अधिनियम संख्यांक 16)

7. मद्रास रिमूवल आफ सिविल डिसेबिलिटीज ऐक्ट, 1938 (1938 का मद्रास अधिनियम संख्यांक 21) ।

8. उड़ीसा रिमूवल आफ सिविल डिसेबिलिटीज ऐक्ट, 1946 (1946 का उड़ीसा अधिनियम संख्यांक 11) ।

9. उड़ीसा टैम्पल एन्ट्री आथोराइजेशन ऐक्ट, 1948 (1948 का उड़ीसा अधिनियम संख्यांक 11) ।

10. यूनाइटेड प्रोविन्सेज रिमूवल आफ सोशल डिसेबिलिटीज ऐक्ट, 1947 (1947 का संयुक्त प्रांत अधिनियम संख्यांक 14) ।

11. वेस्ट बंगाल हिन्दू सोशल डिसेबिलिटीज रिमूवल ऐक्ट, 1948 (1948 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम संख्यांक 37)।

12. हैदराबाद हरिजन टैम्पल एन्ट्री रेग्यूलेशन, 1358 (1358 फसली का अधिनियम संख्यांक 55)।

13. हैदराबाद हरिजन (रिमूवल आफ सोशल डिसेबिलिटीज) रेग्यूलेशन, 1358 एफ० (1358 फसली का अधिनियम संख्यांक 56)।

14. मध्य भारत हरिजन अयोग्यता निवारण विधान, संवत् 2005 (1949 का मध्य भारत अधिनियम संख्यांक 15)।

15. रिमूवल आफ सिविल डिसेबिलिटीज ऐक्ट, 1943 (1943 का मैसूर अधिनियम संख्यांक 42)।

16. मैसूर टैम्पल ऐंट्री आथोराइजेशन ऐक्ट, 1948 (1948 का मैसूर अधिनियम संख्यांक 14)।

17. सौराष्ट्र हरिजन (रिमूवल आफ सोशल डिसेबिलिटीज) आर्डिनेन्स (1948 का संख्यांक 40)।

18. ट्रावनकोर-कोचीन रिमूवल आफ सोशल डिसेबिलिटीज ऐक्ट, 1125 के (1125 का ट्रावनकोर-कोचीन अधिनियम संख्यांक 3)।

19. ट्रावनकोर-कोचीन टैम्पल एन्ट्री (रिमूवल आफ डिसेबिलिटीज) ऐक्ट, 1950 (1950 का ट्रावनकोर-कोचीन अधिनियम संख्यांक 27)।

20. कुर्ग शेड्यूल्ड कास्ट्स (रिमूवल आफ सिविल एन्ड सोशल डिसेबिलिटीज) ऐक्ट, 1949 (1949 का कुर्ग अधिनियम संख्यांक 1)

21. कुर्ग टैम्पल ऐंट्री आथोराइजेशन ऐक्ट, 1949 (1949 का कुडुगू अधिनियम संख्यांक 2)।

निशुल्क कानूनी सलाहकार

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग

अखिलेंद्र प्रताप सिंह

एडवोकेट हाईकोर्ट इलाहाबाद

अंबेडकरवादी हितकारी समिति- राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार

महिला सुरक्षा संघ- राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार

बहुजन उत्थान सेवा समिति- राष्ट्रीय कानून सलाहकार

भारतीय भीम सेना - राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार

बुद्ध एजुकेशन एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन - राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार

मोबाइल नंबर 9532112005

चेंबर नंबर- ऐनक्सी "सी" नियर गेट नंबर 5 हाईकोर्ट इलाहाबाद

“मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है।”
“मैं एक समुदाय की प्रगति को उस डिग्री से मापता हूं जो महिलाओं ने हासिल की है।”
“वे इतिहास नहीं बना सकते जो इतिहास को भूल जाते हैं।”
“धर्म मनुष्य के लिए है न कि मनुष्य धर्म के लिए।”
बाबा साहब संविधान निर्माता व हिन्दू कोड बिल निर्माता बोधिसत्व डॉ भीमराव अंबेडकर

जन्म (14 अप्रैल 1891 मृत्यु 6 दिसंबर 1956)

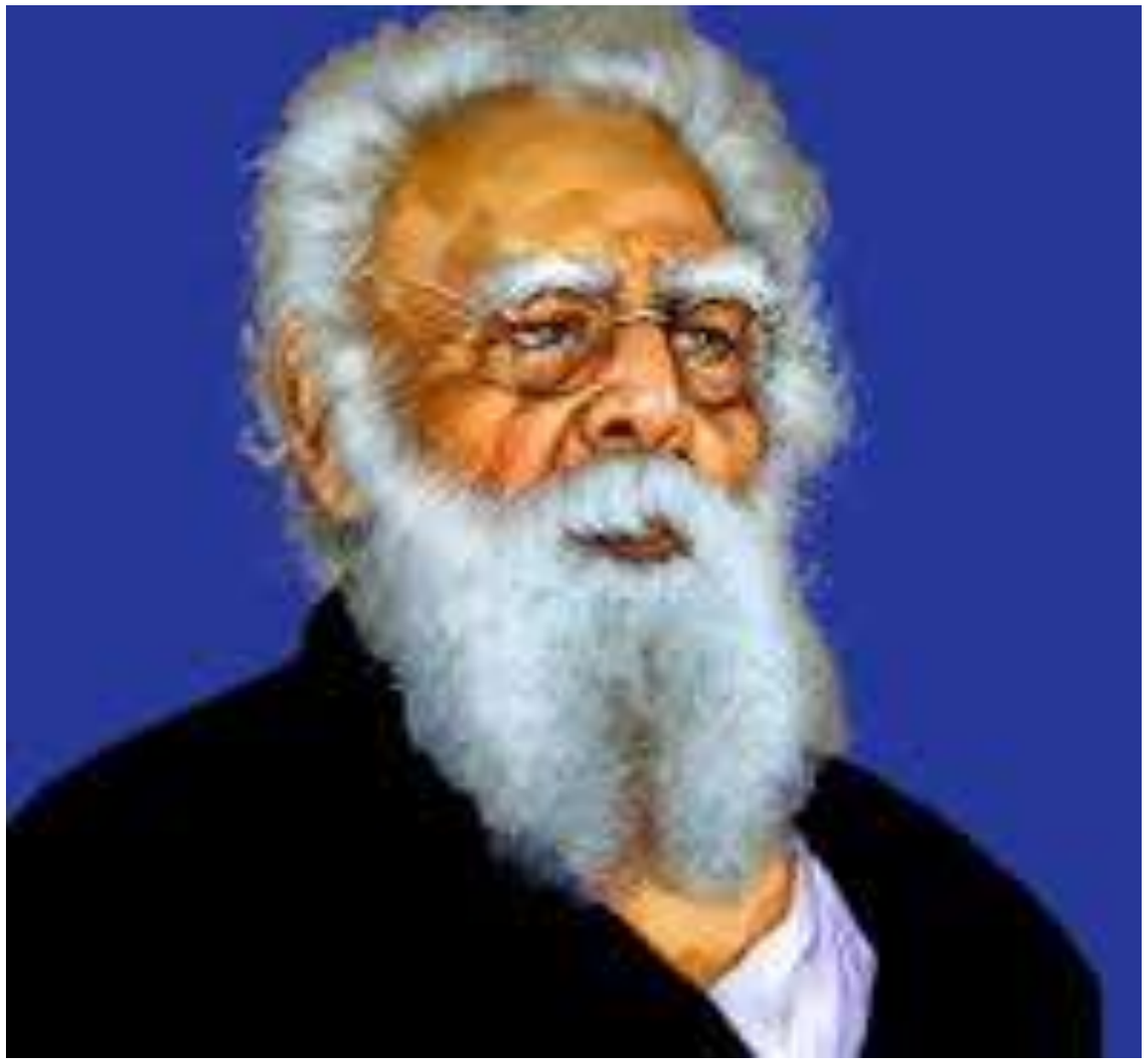

पाल गड़ेरिया समाज से

पेरियार रामास्वामी द्वारा ईश्वर को पूछे गए 15 सवाल

जन्म (17 सितम्बर, 1879 - मृत्यु 24 दिसम्बर, 1973)

धोबी समाज से

महान कर्मयोगी राष्ट्रसंत संत गाडगे बाबा की पुण्यतिथि 20 दिसंबर को मनाई जा रही है। उनका जन्म महाराष्ट्र के अमरावती जिले के शेणगांव अंजनगांव में 23 फरवरी 1876 को हुआ था।

संत गाडगे महाराज का पूरा नाम "देबूजी जिंगराजी जनोरकर" था। उनके पिता का नाम - जिंगराजी रानोजी जानोरकर था, जबकि उनकी माता का नाम - सखुबाई जिंगराजी जानोरकर था। गाडगे महाराज वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले समाज सुधारक थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन दलितों और दलितों की सेवा में लगा दिया। उनका कीर्तन लोकज्ञान का अंग था। वे अपने कीर्तनों के माध्यम से समाज के पाखंड और परंपरा की आलोचना करते थे। गाडगेबाबा ने समाज को शिक्षा के महत्व के बारे में समझाते हुए स्वच्छता और चारित्रिक शिक्षा दी।

गाडगे महाराज एक समाज सुधारक थे जिन्होंने गरीबों और दलितों के बीच अज्ञानता, अंधविश्वास और अस्वच्छता के उन्मूलन के लिए काम किया। तीर्थ धोंडापाणि देव रोकड़ा सज्जानी |" गाडगेबाबा कहते हैं, एक महान संत जो गरीबों, कमजोरों, अनाथों, विकलांगों की सेवा करते हैं। "मंदिर में मत जाओ, मूर्तियों की पूजा मत करो, साहूकारों से पैसे उधार मत लो, मत बनो देहाती, पोथी-पुराण, मंत्र-तंत्र, देवदेवस्की, चमत्कारों में विश्वास नहीं करते। उन्होंने जीवन भर लोगों को सिखाया। इस संत ने, जिन्होंने मनुष्य में भगवान की तलाश की, धर्मशालाओं, अनाथालयों, आश्रमों और अनाथों के लिए विद्यालयों की शुरुआत विभिन्न स्थानों पर की। महाराष्ट्र। रंजले-गंजले, दीन- कमजोर, अपंग और अनाथ उनके देवता थे। गाडगेबाबा इन देवताओं में सबसे लोकप्रिय थे। उन्होंने अपने सिर पर जिन्जा पहना था, खपरा के टुकड़े से बनी टोपी, एक कान में खोपड़ी, दूसरे कान में टूटी चूड़ी का शीशा, एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में घड़ा। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज में व्याप्त अज्ञानता, अंधविश्वास, भोली-भाली मान्यताओं, अवांछित रीति-रिवाजों और परंपराओं को दूर करने के लिए समर्पित कर दिया। इसके लिए उन्होंने कीर्तन का मार्ग अपनाया। अपने कीर्तन में वे श्रोताओं को उनके अज्ञान, दोषों और दोषों से अवगत कराने के लिए विभिन्न प्रश्न पूछते थे। उनके उपदेश भी सरल और सहज होते थे। अपने कीर्तनों में वे कहा करते थे कि चोरी मत करो, साहूकारों से कर्ज मत लो, व्यसनों में लिप्त मत हो, भगवान और धर्म के नाम पर जानवरों को मत मारो, जातिगत भेदभाव और छुआछूत का पालन मत करो। उन्होंने आम लोगों के मन में यह बात बैठाने की कोशिश की कि भगवान पत्थर में नहीं बल्कि इंसानों में हैं। वे संत तुकाराम महाराज को अपना गुरु मानते थे। उन्होंने हमेशा कहा कि 'मैं किसी का गुरु नहीं हूं, मेरा कोई शिष्य नहीं है'। अपने विचारों को सरल और भोले-भाले लोगों तक पहुँचाने के लिए वे ग्रामीण भाषा (मुख्य रूप से वरहाड़ी बोली) का प्रयोग करते थे। गाडगे बाबा ने भी समय-समय पर संत तुकाराम के सटीक अभंगों का भरपूर उपयोग किया। गाडगे बाबा भोले-भाले से लेकर नास्तिक तक सभी उम्र के लोगों को आसानी से अपने कीर्तन में शामिल कर लेते हैं और उन्हें अपने दर्शन का विश्वास दिलाते हैं। बाबा के जीवनीकार प्रबोधंकर ठाकरे ने कहा कि उनके कीर्तन का लघुचित्र बनाना मेरी शक्ति से परे है।नहीं छोड़ा अगर कोई मुसीबत में था तो उसकी मदद के लिए दौड़ना, उसकी मदद करना और बिना किसी परिणाम की उम्मीद किए अपने रास्ते पर जाना उसका पैटर्न था। वह हमेशा अपने साथ एक कौवा रखता था। वह फटे-पुराने कपड़े पहने था और हाथ में टूटी बंदूक थी। इसीलिए लोग उन्हें 'गाडगे बाबा' कहने लगे। वह जिस गाँव में जाता था, झाड़ू-पोंछा करता था। सार्वजनिक स्वच्छता के सिद्धांतों को मन में बिठाने और समाज में अंधविश्वास को खत्म करने के लिए वे खुद भी लगातार सक्रिय रहे और भरसक प्रयास किया।

माली समाज से

महात्मा **ज्योतिराव गोविंदराव फुले** (11 अप्रैल 1827 - 28 नवम्बर 1890) एक भारतीय समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, समाजसेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रान्तिकारी कार्यकर्ता थे। इन्हें **महात्मा फुले** एवं "*ज्योतिबा फुले*" के नाम से भी जाना जाता है। सितम्बर 1873 में इन्होने महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज नामक संस्था का गठन किया। महिलाओं व पिछड़े और अछूतो के उत्थान के लिय इन्होंने अनेक कार्य किए। समाज के सभी वर्गो को शिक्षा प्रदान करने के ये प्रबल समर्थक थे। वे भारतीय समाज में प्रचलित जाति पर आधारित विभाजन और भेदभाव के विरुद्ध थे।

इनका मूल उद्देश्य स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना, बाल विवाह का विरोध, विधवा विवाह का समर्थन करना रहा है। फुले समाज की कुप्रथा, अंधश्रद्धा की जाल से समाज को मुक्त करना चाहते थे। अपना सम्पूर्ण जीवन उन्होंने स्त्रियों को शिक्षा प्रदान कराने में, स्त्रियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने में व्यतीत किया.१९ वी सदी में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। फुले महिलाओं को स्त्री-पुरुष भेदभाव से बचाना चाहते थे। उन्होंने कन्याओं के लिए भारत देश की पहली पाठशाला पुणे में बनाई थीं। स्त्रियों की तत्कालीन दयनीय स्थिति से फुले बहुत व्याकुल और दुखी होते थे इसीलिए उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वे समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाकर ही रहेंगे। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले को स्वयं शिक्षा प्रदान की। सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला अध्यापिका थीं।

ज्योतिबा को संत-महत्माओं की जीवनियाँ पढ़ने में बड़ी रुचि थी। उन्हें ज्ञान हुआ कि जब भगवान के सामने सब नर-नारी समान हैं तो उनमें ऊँच-नीच का भेद क्यों होना चाहिए। स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए ज्योतिबा ने 1848 में एक स्कूल खोला। यह इस काम के लिए देश में पहला विद्यालय था। लड़कियों को पढ़ाने के लिए अध्यापिका नहीं मिली तो उन्होंने कुछ दिन स्वयं यह काम करके अपनी पत्नी सावित्री को इस योग्य बना दिया।

कुछ लोगों ने आरम्भ से ही उनके काम में बाधा डालने की चेष्टा की, किंतु जब फुले आगे बढ़ते ही गए तो उनके पिता पर दबाब डालकर पति-पत्नी को घर से निकालवा दिया इससे कुछ समय के लिए उनका काम रुका अवश्य, पर शीघ्र ही उन्होंने एक के बाद एक बालिकाओं के तीन विद्यालय खोल दिए।

सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। इनके पिता का नाम खन्दोजी नैवेसे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। सावित्रीबाई फुले का विवाह 1841 में ज्योतिराव फुले से हुआ था।[2] सावित्रीबाई फुले भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल और पहले किसान स्कूल की संस्थापक थीं। महात्मा ज्योतिराव को महाराष्ट्र और भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन में एक सबसे महत्त्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में माना जाता है। उनको महिलाओं और दलित जातियों का शिक्षित करने के प्रयासों के लिए जाना जाता है। ज्योतिराव, जो बाद में ज्योतिबा के नाम से जाने गए सावित्रीबाई के संरक्षक, गुरु और समर्थक थे। सावित्रीबाई ने अपने जीवन को एक मिशन की तरह से जीया जिसका उद्देश्य था विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना। वे एक कवियत्री भी थीं उन्हें मराठी की आदिकवियत्री के रूप में भी जाना जाता था।

सामाजिक मुश्किलें वे स्कूल जाती थीं, तो विरोधी लोग उनपर पत्थर मारते थे। उन पर गंदगी फेंक देते थे। आज से 191 साल पहले बालिकाओं के लिये जब स्कूल खोलना पाप का काम माना जाता था तब ऐसा होता था।

सावित्रीबाई पूरे देश की महानायिका हैं। हर बिरादरी और धर्म के लिये उन्होंने काम किया। जब सावित्रीबाई कन्याओं को पढ़ाने के लिए जाती थीं तो रास्ते में लोग उन पर गंदगी, कीचड़, गोबर, विष्ठा तक फेंका करते थे। सावित्रीबाई एक साड़ी अपने थैले में लेकर चलती थीं और स्कूल पहुँच कर गंदी कर दी गई साड़ी बदल लेती थीं। अपने पथ पर चलते रहने की प्रेरणा बहुत अच्छे से देती हैं।

शिक्षा की देवी व भारत की पहली शिक्षित महिला होने के साथ साथ भारत के पहली महिला अध्यापिका

वह बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो भारतीय समाज के सबसे कमजोर वर्गों - बहुजनों या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और पान्थिक अल्पसंख्यकों के जीवन में सुधार के लिए सामाजिक परिवर्तन के एक मंच पर केन्द्रित है। वह भारत में अनुसूचित जाति की पहली महिला मुख्यमंत्री थीं।

सन् 1977 ई० में मा० कांशीराम के सम्पर्क में आने के बाद उन्होंने एक पूर्ण कालिक राजनीतिज्ञ बनने का निर्णय ले लिया। कांशीराम के संरक्षण के अन्तर्गत वे उस समय उनकी कोर टीम का हिस्सा रहीं, जब सन् 1984 ई० में बसपा की स्थापना हुई थी।1989 ई० में इन्होने लोकसभा के चुनाव में पहली जीत हासिल की जहां यह बिजनौर सीट से खड़ी हुई और भारी मतों से जीता इसके बाद इन्होने 1994 ई० में भी लोकसभा का चुनाव जीता । इस चुनाव मायावती जी को लोगो के बीच बेहद लोकप्रिय हो गई थी।

राजनैतिक जीवन

A. 1989 ई०:बिजनौर लोकसभा (सु) उत्तर प्रदेश से संसद सदस्य निर्वाचित।
B. 1994 ई०: उत्तर प्रदेश से राज्य सभा के लिए निर्वाचित।
C. 1995 ई० :प्रथम भारतीय दलित महिला के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती एक मजबूत स्तम्भ है। आप के द्वारा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का कार्य काल निम्नवत रहा।

1. 3 जून 1995 ई०–18 अक्टूबर 1995 ई०
2. 21 मार्च 1997 ई०–20 सितम्बर 1997 ई०
3. 3 मई 2002 ई०–26 अगस्त , 2003 ई०
4. 13 मई 2007 ई०–6 मार्च 2012 ई०

निशुल्क कानूनी सलाहकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग

अखिलेंद्र प्रताप सिंह
एडवोकेट हाईकोर्ट इलाहाबाद
अंबेडकरवादी हितकारी समिति- राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार
महिला सुरक्षा संघ- राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार
बहुजन उत्थान सेवा समिति- राष्ट्रीय कानून सलाहकार
भारतीय भीम सेना - राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार
बुद्ध एजुकेशन एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन - राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार
मोबाइल नंबर 9532112005
चेंबर नंबर- ऐनक्सी "सी" नियर गेट नंबर 5 हाईकोर्ट इलाहाबाद

मान्यवर कांशीराम (15 मार्च 1934 – 9 अक्टूबर 2006) भारतीय राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने **भारतीय वर्ण व्यवस्था** में **बहुजनों** के राजनीतिक एकीकरण तथा उत्थान के लिए कार्य किया। इसके अन्त में उन्होंने दलित शोषित संघर्ष समिति (डीएसएसएसएस), 1971 में अखिल भारतीय पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदायों कर्मचारी महासंघ **बामसेफ** और 1984 में **बहुजन समाज पार्टी** (बसपा) की स्थापना की

मान्यवर कांशीराम साहब ने सरकार की सकारात्मक कार्रवाई की योजना के तहत पुणे में विस्फोटक अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला को था जब उन्होंने पहली बार जातिगत भेदभाव का अनुभव किया. [कैसे?] उन्होंने ऑफिस में देखा कि जो कर्मचारी डॉक्टर आंबेडकर का जन्मदिन मनाने के लिए छुट्टी लेते थे उनके साथ ऑफिस में भेदभाव किया जाता था. वे इस जातिगत भेदभाव को ख़त्म करने के लिए 1964 एक दलित सामाजिक कार्यकर्ता बन गए थे. उनके करीबी लोगों के अनुसार उन्होंने यह निर्णय डॉक्टर आंबेडकर की किताब "एनीहिलेशन ऑफ कास्ट" को पढ़कर लिया था. कांशीराम को बी. आर. अम्बेडकर और उनके दर्शन ने काफी पभावित किया था.

मान्यवर कांशीराम साहब ने शुरू में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (RPI) का समर्थन किया था लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़े रहने के कारण उनका भंग हो गया था. इसक कारण उन्होंने 1971 में अखिल भारतीय एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक कर्मचारी संघ की स्थापना की जो कि बाद में चलकर 1978 में BAMCEF बन गया था. BAMCEF एक ऐसा संगठन था जिसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य वर्गों और अल्पसंख्यकों के शिक्षित सदस्यों को अम्बेडकरवादी सिद्धांतों का समर्थन करने के लिए राजी करना था. BAMCEF न तो एक राजनीतिक और न ही एक धार्मिक संस्था थी और इसका अपने उद्देश्य के लिए आंदोलन करने का भी कोई उद्देश्य नहीं था। सूर्यकांत वाघमोर कहते हैं, इस संगठन ने दलित समाज के उस संपन्न तबके को इकठ्ठा करने का काम किया जो कि ज्यादातर शहरी क्षेत्रों, छोटे शहरों में रहता था और सरकारी नैकारियों में काम करता तह साथ ही अपने अपने अछूत भाई बहनों से भी किसी तरह के संपर्क में नहीं था.

इसके बाद मान्यवर कांशीराम साहब ने 1981 में एक और सामाजिक संगठन बनाया, जिसे दलित शोषित समाज संघर्ष समिति (डीएसएसएस,DSSS या DS4) के नाम से जाना जाता है. उन्होंने दलित वोट को इकठ्ठा करने की अपनी कोशिश शुरू की और 1984 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की स्थापना की. उन्होंने अपना पहला चुनाव 1984 में छत्तीसगढ़ की जांजगीर-चांपा सीट से लड़ा था, बीएसपी को उत्तर प्रदेश में सफलता मिली, शुरू में दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के बीच विभाजन को पाटने के लिए संघर्ष किया,लेकिन बाद में मायावती के नेतृत्व में इस खाई को पाटा गया....

सन 1982 में उन्होंने अपनी पुस्तक 'द चमचा युग' लिखी, जिसमें उन्होंने जगजीवन राम और रामविलास पासवान और रामदास अठावले जैसे दलित नेताओं का वर्णन करने के लिए "चमचा" शब्द का इस्तेमाल किया था. उन्होंने तर्क दिया कि दलितों को अन्य दलों के साथ काम करके अपनी विचारधारा से समझौता करने के बजाय अपने स्वयं समाज के विकास को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक रूप से काम करना चाहिए बीएसपी के गठन के बाद, मान्यवर कांशीराम ने कहा कि उनकी 'बहुजन समाज पार्टी' पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा चुनाव नजर में आने ले लिए और तीसरा चुनाव जीतने के लिए लड़ेगी,1988 में उन्होंने भावी प्रधानमंत्री वी. पी. सिंह के खिलाफ इलाहाबाद सीट से चुनाव लड़ा और प्रभावशाली प्रदर्शन किया, लेकिन 70,000 वोटों से हार गए वह 1989 में पूर्वी दिल्ली (लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र) से लोक सभा चुनाव लडे और चौथे स्थान पर रहे. सन 1991 में, कांशीराम और मुलायम सिंह ने गठबंधन किया और कांशीराम ने इटावा से चुनाव लड़ने का फैसला किया, कांशीराम ने अपने निकटतम भाजपा प्रतिद्वंद्वी को 20,000 मतों से हराया और पहली बार लोकसभा में प्रवेश किया. इसके बाद कांशीराम ने 1996 में होशियारपुर से 11वीं लोकसभा का चुनाव जीता और दूसरी बार लोकसभा पहुंचे. अपने ख़राब स्वास्थ्य के कारण उन्होंने 2001 में सार्वजनिक रूप से मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था.

निशुल्क कानूनी सलाहकार

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग

अखिलेंद्र प्रताप सिंह

एडवोकेट हाईकोर्ट इलाहाबाद
अंबेडकरवादी हितकारी समिति- राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार
महिला सुरक्षा संघ- राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार
बहुजन उत्थान सेवा समिति- राष्ट्रीय कानून सलाहकार
भारतीय भीम सेना - राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार
बुद्ध एजुकेशन एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन - राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार

मोबाइल नंबर 9532112005

चेंबर नंबर- ऐनक्सी "सी" नियर गेट नंबर 5 हाईकोर्ट इलाहाबाद

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम पर कुछ माननीय न्यायालयो के आदेशो संक्षिप्त विवरण

1. **अपमान अथवा अभित्रास सार्वजनिक दृष्टि के भीतर होना चाहिए**

अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के सदस्य का निरादर करने के आश्रय से अपमान अथवा अभित्रास "सार्वजनिक दृष्टि के भीतर होना चाहिए" उमेश प्रसाद उर्फ नाना देव एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 2015 (146) ए०आई०सी० 720 (छत्तीस० उ० न्या०)

2. **अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध यदि कोई अपराध करता है तो उसे अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध का साबित होना जरूरी है**

जल के उपयोग के अधिकार से जाति के आधार पर वंचन साबित नहीं अभियुक्त दोष मुक्त- अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग यह था कि उसने दोष पूर्णतः अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के परिवादी को नहर के जल प्रवाह के उपयोग से सदोषत: वंचित किया लेकिन आप को साक्ष्य प्रस्तुत करने द्वारा साबित नहीं किया गया इन तथ्यों के आलोक में न्यायालय ने यह विनिश्चित किया कि अभियुक्त अधिनियम की धारा 3 (1)(v) के अंतर्गत अपराध के लिए दो सिद्ध नहीं किया जा सकता मोहर्रम अली बनाम राज्य (2006) 4 क्राइम्स 308 (उत्तरांचल)

I. **अपमान का आशय-का सबूत-** स्वीकृत रूप से यांची उसे पद से अवगत नहीं था परिवादी के चेंबर से संलग्न चपरासी के कथन से यह स्पष्ट है कि उसे उसे विशेष दिन पहली बार देखा गया है यह सत्य है कि याची चार्टर्ड एकाउंटेंट के रूप में व्यवसाय कर रहा है और अपने मुंवक्किलों के लेखाओं को प्रस्तुत करने के लिए चैंबर गया हुआ था जब तक यह साबित नहीं किया जाता कि याची इस तथ्य से अवगत था कि परिवादी उसे जाति से संबंधित था और उसे अपमानित करने के आशय से उसने ऐसे शब्द का प्रयोग किया था या नहीं कहा जा सकता कि याची की ओर से उसे नाम से बुला करके उसे अपमानित करने का आशय था इसलिए इस बात में अधिनियम की धारा 3(1)x की कोई अपेक्षा संतुष्ट नहीं होती है चंद्र पुजारी बनाम स्टेट आफ कर्नाटका 1998 क्रि० लॉ० ज० 53 कर्ना०

II. **जाति के नाम से गाली देना** - स्वीकृति रूप से, वर्तमान मामले में इत्तिलाकर्ता अनुसूचित जाति का सदस्य है। अभियुक्त ने मात्र यह प्रकथन किया था कि उसने अनेक "हरिजन-दुसाध विधायक" को देखा है, जिसका तात्पर्य यह नहीं है कि उसने इत्तिलाकर्ता को अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का सदस्य होने के कारण अपमानित करने के आशय से अपमानित अथवा अभित्रासित किया। यह अभिकथन नहीं किया गया था कि उसने इत्तिलाकर्ता को सार्वजनिक दृष्टि के भीतर उसके जाति सूचक नाम से गाली दिया। अधिनियम की धारा 3 (1) (x) अथवा धारा 3 (1) (xi) के अधीन कोई अपराध नहीं बनता है। कार्यवाही अभिखण्डित किये जाने के लिए दायी है। [निसारुल हक़ बनाम स्टेट आफ झारखण्ड, 2011 क्रि० लॉ ज० 2755 (झार०)

यह अभिकथन किया गया था कि अभियुक्तगण, परिवादीगण को उस समय, जब वे श्मशान भूमि में शौच क्रिया कर रहे थे, सार्वजनिक दृष्टि के भीतर अपमानित करने अथवा अभित्रासित करने के आशय सेउनके जाति सूचक नाम की गाली दिये। यह पाया गया कि श्मशान भूमि बिना किसी झाड़ियों के बिल्कुल साफ मैदान थी। परिवाद के कूटकरण के सम्बन्ध में संदेह था। अभियुक्त की दोषसिद्धि अनुचित थी। [शेखर पलानियप्पा गौण्डर बनाम स्टेट, 2012 क्रि० लॉ ज० (एन० ओ० सी०) 315 (मद्रास)।]

जहाँ यह अभिकथन किया गया था कि अभियुक्तगण परिवादी के घर में घुसे और उसकी सम्पत्ति को क्षतिग्रस्त किये। परिवादी को भी अपमानजनक भाषा उसकी जाति को निर्दिष्ट करके गाली दी जा रही थी, यह अभिनिर्धारित किया गया कि चूंकि अभियुक्त को अभिकथित अपराध के लिए विचारण में भेजने के लिए अभिलेख पर पर्यात साक्ष्य था, इसलिए विचारण अभिखण्डित किये जाने के लिए दायी नहीं था। [बाबूलाल बनाम स्टेट आफ राजस्थान, 2004 क्रि० लॉ ज० (एन० ओ० सी०) 356 (राज०) ।]

III. **जाति के नाम से चिल्लाना-** यह अभिकधन किया गया था कि अभियुक्त परिवादी के, जो अनुसूचित जाति से सम्बन्धित था, के जाति के नाम के द्वारा परिवादी को उसे अपमानित करने के आशय से चिल्लाया। साक्षियों के साक्ष्य के अनुसार किसी भूमि के सम्बन्ध में पक्षकारों के बीच विवाद लम्बित था। तीन दिन के बाद, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में विलम्ब के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं था। अभियुक्त के रूप में केवल दो व्यक्तियों को जोड़ा गया था, यद्यपि परिवाद में सात व्यक्तियों का उल्लेख किया गया था। अभियुक्त का दोषमुक्ति उचित थी। [स्टेट आफ हिमाचल प्रदेश बनाम देश राज, 2014 क्रि० लॉ ज० (एन० ओ० सी०) 77 (एच० पी०)।]

IV. **घटना सार्वजनिक दृष्टि के भीतर नहीं घटी**- वर्तमान मामले में केस डायरी के अनुसार, यह नहीं कहा जा सकता है कि घटना सार्वजनिक दृष्टि के भीतर घटित हुई थी। प्रावधान में प्रयुक्त शब्द "सार्वजनिक दृष्टि" के भीतर के स्थान में, न कि "सार्वजनिक स्थान" में हैं। सार्वजनिक दृष्टि के भीतर के स्थान में घटित घटना तथा सार्वजनिक स्थान में घटित घटना के बीच स्पष्ट रूप से अन्तर है। घटना लगभग 11.00 बजे पूर्वान्ह घटी हुई थी और घटना स्थल पर केवल अभियुक्त दल उपस्थित था और उनके बीच जो घटित हुआ था, सार्वजनिक दृष्टि के भीतर घटित होने के लिए अभिकथित नहीं किया गया है। इन परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता है कि अधिनियम की धारा 3 (1) (x) के अधीन अपराध के आवश्यक तत्व साबित हुए है। [करन सिंह बनाम स्टेट आफ मध्य प्रदेश, 1992 क्रि० लॉ ज० 3054 पृष्ठ 3056 (एम० पी०)

V. **कार्यवाही का अभिखण्डन -** जहाँ परिवादी अध्यापक था, अभियुक्त उस कालेज का प्रधानाचार्य था। परिवादी के विरुद्ध उसके द्वारा कारित की गयी अवैधानिकताओं के लिए

कार्रवाई की गयी, जिसमें महिला विद्यार्थी और महिला सहयोगियों के साथ दुर्व्यवहार करना शामिल है। परिवादी के द्वारा यह अभिकथन किया गया था कि अभियुक्त उसके चैम्बर में, जहाँ वह अभियुक्त से उसे जारी की गयी नोटिस के प्रत्युत्तर में उससे पूछने गया हुआ था, उसके दो मित्रों की उपस्थिति में उसके जाति के नाम से उसे गाली दी। अभियुक्त के चैम्बर में घटी हुई घटना को सार्वजनिक दृष्टि में सार्वजनिक स्थान पर होना नहीं कहा जा सकता है। परिवाद के अभिकथन असंभाव्य थे, जिनके आधार पर कोई प्रज्ञावान व्यक्ति अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करेगा। कार्यवाही अभिखण्डित किये जाने के लिए दायी है। [सूर्यकान्त रमेश अजमेरा बनाम स्टेट आफ महाराष्ट्र, 2011 क्रि० लॉ ज० 1803 (बम्बई)।

निशुल्क कानूनी सलहाकार

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग

अखिलेंद्र प्रताप सिंह

एडवोकेट हाईकोर्ट इलाहाबाद
अंबेडकरवादी हितकारी समिति- राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार
महिला सुरक्षा संघ- राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार
बहुजन उत्थान सेवा समिति- राष्ट्रीय कानून सलाहकार
भारतीय भीम सेना - राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार
बुद्ध एजुकेशन एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन - राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार

मोबाइल नंबर 9532112005

चेंबर नंबर- ऐनक्सी "सी" नियर गेट नंबर 5 हाईकोर्ट इलाहाबाद